

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक :- २२/०१/१९

सं० सं०-१७/ए ३-०१/२०१९ - ३४ (न/ /स्वा०, सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली २००८ एवं (संशोधन) नियमावली २०१३ के आलोक में ट्यूटर के टेन्चोर पदों पर स्वास्थ्य सेवा संवर्ग एवं बाह्य चिकित्सकों को निम्नांकित शर्तों के अधीन राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के एनाटॉमी विभाग में निम्न प्रकार से नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है:-

एनाटॉमी विभाग				
बि०स्वा०से०				
क्र० सं०	नाम	आवेदन संख्या	आरक्षण कोटि	पदस्थापन
1	डॉ० राजेश रंजन	CR201801035	पिछड़ा वर्ग	पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना
2	राजेश कुमार	CR201800162	अनारक्षित (अ०पि०व०)	नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना
पी०जी०एस०				
1	निधि	CR201800048	अनारक्षित	अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया
2	प्रेमजीत कुमार मधुकर	CR201800639	पिछड़ा वर्ग	जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा
3	विनिता लक्ष्मी	CR201800658	अनारक्षित (अ०जा०)	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया।
4	अमरेश कुमार	CR201800308	अनारक्षित (अ०पि०व०)	अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया
5	गजाला परवीन	CR201800052	अनारक्षित	श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर।
6	डॉ० नेहा सिंह	CR201800234	अनारक्षित	नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना
पी०जी०ओ०				
1	सौम्या	CR201800741	अनारक्षित	पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना
2	पल्लवी सहाय	CR201800354	अनारक्षित	दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय।
3	डॉ० पल्लवी रंजन आनन्द	CR201800306	अनारक्षित (पि०व०म०)	वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी
4	रिजवाना फरहत	CR201800462	अनारक्षित (अ०पि०व०)	जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर।
5	सरिता कुमारी	CR201800451	अनारक्षित	जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा
6	संतोष कुमार वर्णवाल	CR201800333	पिछड़ा वर्ग	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया।
7	राजीव कुमार लाल	CR201800089	अनारक्षित	जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर।
8	मीत कृष्ण	CR201800915	अनारक्षित	जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा

2. यह नियुक्ति मात्र तीन वर्षों के लिए होगी।

3. संबंधित स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सकों को जो वेतन एवं भत्ता पूर्व से प्राप्त हो रहा है वही वेतन एवं अनुमान्य भत्ता टेन्चोर पदों पर पदस्थापन अवधि में देय होगा। वेतन से की जा रही सामान्य कटौतियाँ नियमानुसार की जायेगी।

4. बाह्य चिकित्सकों को वेतनमान लेवल-9 अन्य अनुमान्य भत्ते सहित देय होगा।


5. टेन्चोर अवधि की समाप्ति के उपरांत वैसे पदधारक जो स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सक हैं, वे अपने पैतृक संवर्ग में स्वतः वापस हो जायेंगे। बाह्य चिकित्सक टेन्चोर समाप्ति के पश्चात् उस टेन्चोर पद अथवा किसी अन्य पद पर लगातार बने रहने का दावा नहीं कर सकेंगे।

6. सभी नवनियुक्त ट्यूटर को निदेशित किया जाता है कि वे अपने नव पदस्थापित स्थान पर अधिकतम 15 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से योगदान कर कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। योगदान के समय वांछित प्रमाण-पत्र यथा क्रीमिलेयर प्रमाण-पत्र/मूल शपथ-पत्र/मूल विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र अपने संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक को समर्पित करेंगे अन्यथा उनका योगदान स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7. योगदान के समय संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य नवनियुक्त ट्यूटर द्वारा समर्पित वांछित प्रमाण-पत्र यथा क्रिमिलेयर प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र/अनापत्ति प्रमाण-पत्र को जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे। आरक्षण का लाभ केवल बिहार के मूल निवासी को ही देय होगा। विसंगति पाये जाने पर पूर्ण विवरण सहित विभाग को सूचित करेंगे।

8. नये ट्यूटर के पदस्थापन के उपरान्त योगदान के पश्चात् संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य सबसे पुराने पदस्थापित ट्यूटर को आवश्यकतानुसार कार्य मुक्त कर देंगे। यदि किसी पुराने ट्यूटर के मामले में न्यायिक वाद चल रहा हो तो उस स्थिति में प्राचार्य द्वारा विभाग से परामर्श प्राप्त कर ही अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।


बिहार राज्यपाल के आदेश से


(कौशल किशोर)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 17/ए 3-01/2019- 38(17) पटना, दिनांक :- 22/01/19

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं राजपत्र के प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै० दा० नि० कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 17/ए 3-01/2019-38 (17f) पटना, दिनांक :- ११/०१/१७

- प्रतिलिपि :- सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, पटना प्रमंडल/मगध प्रमंडल/तिरहुत प्रमंडल/दरभंगा प्रमंडल/भागलपुर प्रमंडल/कोशी प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, पटना/दरभंगा/गया/मुजफ्फरपुर/नालंदा/भागलपुर/पश्चिमी चंपारण/मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी/चिकित्सकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- प्राचार्य/अधीक्षक, सभी संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, (कौशल किशोर)/प्रशाखा पदाधिकारी-प्रशाखा 01,02,08 एवं 09, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :-आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Kan
21/1/15

सरकार के संयुक्त सचिव।